कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.)

-::आदेश::-

क्रमांक/476/सांख्यिकीय ले. शा./2025 सारंगढ़ दिनांक 30/01/2025

प्रायः यह देखा जा रहा है कि Double Cage Wheel युक्त वाहनों के सड़कों पर आवागमन से सड़कों का अत्यधिक क्षरण होता है, जिसके परिणामस्वरूप सड़कें खराब हो जाती हैं तथा नवनिर्मित सड़कों को भी समयपूर्व मरम्मत की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे खराब सड़को से दुर्घटना की संभावना एवं आमजन के लिए समस्या उत्पन्न होती है। जिससे शासन को न केवल वित्तीय हानि होती बल्कि शासन की छवि भी धूमिल होती है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए, जिला सारंगढ़–बिलाईगढ़ के अंतर्गत सड़कों पर Double Cage Wheel युक्त वाहनों के आवागमन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाता है।

उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
सारंगढ-बिलाईगढ़

पृ0क्रमांक/476A/सांख्यिकीय ले. शा./2025 सारंगढ़ दिनांक 30/01/2025

प्रतिलिपि :–

1. पुलिस अधीक्षक , जिला सारंगढ़–बिलाईगढ़ (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सारंगढ़–बिलाईगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि.(भ/स) जिला सारंगढ़–बिलाईगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. जिला परिवहन अधिकारी, सारंगढ़–बिलाईगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत।
5. अनुविभागीय दण्डााधिकारी सारंगढ़/बिलाईगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. सर्व कार्यपालिक दण्डाधिकारी सारंगढ़–बिलाईगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. सर्व थाना प्रभारी, सारंगढ़–बिलाईगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. सहायक संचालक ,जन संपर्क अधिकारी सारंगढ़–बिलाईगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं प्रकाशन हेतु।
9. संबंधित..को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
सारंगढ-बिलाईगढ़

Scanned with CamScanner